

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/  
प्रार्थी

बनाम

744

अप्रार्थीगण

दिनांक - 19/3/20

1 मोहन पुत्र केसाराम  
जाति रावणा राजपूत  
निवासी डीगड़ा तहसील  
व जिला बाड़मेर।

1 पुरखसिंह 2 केवलसिंह 3 सरूपसिंह पिसरान धुड़सिंह 4  
तुलसी पत्नी धुड़सिंह 5 दलपतसिंह 6 जेठूसिंह पिसरान  
कानसिंह 7 लीलाकंवर पत्नी बंशीसिंह 8 दरियाकंवर पत्नी  
लीलसिंह 9 गणपतसिंह 10 जसूसिंह पिसरान लीलसिंह 11  
उम्मेदसिंह 12 पोलसिंह 13 हेतुसिंह 14 ओमसिंह 15  
मदनसिंह 16 जितेन्द्रसिंह पिसरान सवाईसिंह 17 अचलसिंह  
18 कंवराजसिंह 19 सुमेरसिंह पिसरान देवीसिंह 20 वेदसिंह  
पुत्र वीरचन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा, लंगेरा  
21 मोरुदेवी पत्नी कमलसिंह निवासी लंगेरा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 88/2019 दिनांक- 18/3/20

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 717/252 रकबा 04.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 745-748  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 19/3/20

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मोहन पुत्र केसाराम जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पुरखसिंह पुत्र धुड़सिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा, लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

